



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

Email: - RAJMSA.ASFE@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक - रास्कूलशिप/जय/वै.एवं औ.शि./

/2020-21/ 13733

दिनांक- 14/8/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

विषय - प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2020-21 के दौरान प्रवासी श्रमिकों के बच्चों, अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय में नामांकन करवाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ - MHRD का अ0शा0 पत्रांक 18-19/2020/-IS-15 दिनांक 13 जुलाई, 2020 व दिनांक 18 अगस्त, 2020 को ली जा रही विडियो कॉन्फ्रेंस के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य के समस्त अनामांकित, ड्रॉप आउट एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों का विद्यालय में नामांकन करवाया जाना है। इस हेतु दिनांक 29 जुलाई, 2020 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस में आयुक्त महोदय द्वारा आपको स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में प्रवासी परिवारों के बच्चों को, जो विभिन्न राज्यों/जिलों से कोविड-19 अथवा किन्हीं कारणों से पलायन कर आये / गये हैं, की सूचना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में संकलित कर परिषद कार्यालय को आज ही कार्यालय छोड़ने से पूर्व आवश्यक रूप से निम्नलिखित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराये -

प्रपत्र

जिले का नाम	राज्य में आने वाले प्रवासी परिवारों के बच्चों की सूचना		राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी परिवारों के बच्चों की सूचना	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका

(ओम प्रभा)

उपायुक्त- सप्तम

क्रमांक: रास्कूलशिप/जय/वै.शि./2020-21/ 13733

दिनांक: 14/8/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. अति0 राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय, समग्र शिक्षा, जयपुर।
4. समस्त अति0 जिला परियोजना समन्वयक समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उक्तानुसार जिले की सूचना संकलित कर परिषद कार्यालय को प्रेषित करें।
5. रक्षित प्रति।

उपायुक्त-सप्तम

www.rajsevak.com